

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक— 149 / 2612 / 2009 / 2-38 /  
प्रति,

भोपाल, दिनांक—29.01.2010

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय कन्या महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश ।

**छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश**

राज्य शासन शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए कटिबद्ध है । इस उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसी छात्राएँ जो शैक्षणिक स्थल से 05 किलोमीटर एवं इससे अधिक की दूरी पर निवास करती है उन्हें शैक्षणिक स्थल तक पहुँचने के लिए आवागमन में कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए योजना प्रारंभ की जा रही है । यह योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से लागू होगी मानी जावेगी ।

**2 योजना हेतु पात्रता एवं मापदण्ड—**

(1) इस योजना में शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं को शामिल किया जावेगा तथा योजना स्नातक स्तर पर लागू होगी । शैक्षणिक सत्र 2009-10 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित /अध्ययनरत् छात्राओं को लाभान्वित किया जावेगा ।

(2) अध्ययनरत छात्रा का निवास स्थान महाविद्यालय की परिधि से 05 किलोमीटर अथवा इससे से अधिक की दूरी पर होना चाहिए ।

(3) महाविद्यालय से निवास स्थान की दूरी का प्रमाणीकरण छात्रा के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के आधार निकटतम बस स्टाप से, महाविद्यालय की दूरी तक किया जावेगा । निवास स्थल के प्रमाणीकरण हेतु 1. राशनकार्ड, (जिसमें छात्रा का नाम अंकित हो) 2. मतदाता परिचय पत्र, 3. ड्राईविंग लाइसेंस, अथवा अन्य अधिकृत दस्तावेज जिससे वर्तमान निवास का प्रमाणीकरण स्पष्ट हो सके ।

(4) योजना अन्तर्गत छात्राओं की पात्रता के लिए निम्नानुसार समिति की गठन किया जावेगा :-

अ	जिलाध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि (जो डिप्टी कलेक्टर से कम स्तर का न हो)	अध्यक्ष
ब	जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष	सदस्य
स	प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय	सदस्य सचिव
द	जनप्रतिनिधि 1 विधायक अथवा उनका प्रतिनिधि 2 नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य

निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा तथा परीक्षण उपरांत समिति द्वारा पात्र छात्राओं का चयन किया जावेगा

(4) इस योजना का लाभ परम्परागत (सामान्य पाठ्यक्रम) में अध्ययनरत् छात्राओं को प्रदाय किया जायेगा । स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्राएँ इस योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगी ।

### 3. गणना एवं भुगतान –

(1) छात्रा द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के दिनांक से उपस्थिति के आधार पर राशि की गणना की जावेगी ।

(2) राशि की गणना प्रति छात्रा प्रतिदिन रूपये 5.00 (पांच रूपये) की दर से की जावेगी । शैक्षणिक सत्र में प्रतिमाह माहवार उपस्थिति अनुसार राशि का भुगतान किया जावेगा परन्तु अधिकतम वार्षिक 200 दिवस से अधिक का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

(3) 200 दिवस की गणना शैक्षणिक सत्र के रूप में माह जुलाई से मार्च तक की जावें ।

4. बजट -

महाविद्यालय स्तर से बजट हेतु निर्धारित प्रपत्र (T.R.-2) में भरकर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा को ई-मेल [budgetedu@mp.gov.in](mailto:budgetedu@mp.gov.in) पर अधिकतम 15 सितम्बर तक प्रेषित किया जावेगा ।

5 छात्राओं को योजना की जानकारी -

योजना सत्र 2009-10 से प्रारंभ की गई है । अतः महाविद्यालय में नियमित रूप से प्रथम वर्ष में प्रवेशित / अध्ययनरत छात्राओं को प्राचार्यो द्वारा परिपत्र जारी कर शिक्षकों के माध्यम से / नोटिस बोर्ड पर सूचना अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से योजना के बारे में अवगत कराया जावे ताकि सभी पात्र छात्राओं द्वारा समय सीमा में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर योजना का लाभ ले सके ।


6 आवेदन-

निर्धारित प्रपत्र (T.R.-1) में छात्राओं द्वारा निश्चित रागयावधि में आवेदन किया जावेगा । जिसमें सामान्य जानकारी के साथ वर्तमान निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ताकि दूरी का प्रमाणीकरण हो सके ।

7 विवादों का निपटारा-

इस योजनान्तर्गत पात्रता के विवाद की स्थिति में आवेदिका द्वारा अपील प्राचार्य के माध्यम से, संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा को की जा सकेगी । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक आवेदन-पत्र पर परीक्षण कर अपना अभिमत प्राचार्य को देंगे । विशेष परिस्थिति में आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
22/11/2010  
उषा तायव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ०क०- / 150 / 2612/2009/2-38

भोपाल, दिनांक- 29-1-10

प्रतिलिपि-

- 1 निज सहायक माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा भोपाल
- 2 आयुक्ता, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
- 3 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य,

-----  
-----

विषय-छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा योजना का लाभ प्रदाय करने बाबत ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय की नियमित छात्रा हूँ । कृपया मुझे योजनान्तर्गत लाभ प्रदाय करने का कष्ट करें । विवरण निम्नानुसार है-

1. छात्रा का नाम -----
2. पिता/पति का नाम -----
3. अध्ययनरत् कक्षा -----
4. निवास स्थल का पता -----  
(प्रमाणित अभिलेख संलग्न करें) -----  
-----
5. श्रेणी- (सामान्य/अनुजाति/ -----  
अनुजनजाति) -----
6. प्रवेश दिनांक- -----

घोषणा-

मैं, घोषणा करती हूँ कि उक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है, जो सत्य है ।

हस्ताक्षर (छात्रा)  
पिता/पति)  
नाम-  
दिनांक

हस्ताक्षर (छात्रा के

नाम-

प्रपत्र – TR.-2

महाविद्यालय का नाम—

योजना का नाम— छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा—

क्र.	सत्र—2009—10 में नियमित रूप से अध्ययनरत् छात्राओं की जानकारी			उपस्थिति के आधार कुल अनुमानित दिवस (जुलाई से मार्च तक अधिकतम 200 दिवस)	रु० 5/— प्रतिदिन की दर से कुल राशि (4X5)	टिप्पणी
	श्रेणी	कुल छात्राएँ	महावि० से 05 कि.मी. अथवा इससे अधिक की दूरी पर निवासरत् पात्र छात्राएँ			
1	2	3	4	5	6	7
	सामान्य अनु०जनजाति अनुजाति					
	योग					

हस्ताक्षर

प्राचार्य सील सहित